अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अदालत द्वारा मनी लांड्रिंग केस में जमानत

हालिया सन्दर्भ-

- हाल ही में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अदालत द्वारा मनी लांड्रिंग केस में जमानत दी गई है।
- न्यायालय का यह निर्णय बेहद अहम इसलिए हो जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानि PLMA द्वारा जमानत दिए जाने के लिए बेहद उच्च मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।
- PLMA की धारा 45 (1) कहती है कि आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि अदालत इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहने के दौरान आरोपी द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया जाएगा।
- वास्तविकता यह है कि न्यायालय का यह निर्णय पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों को संभावित रूप से संदेहात्मक बनाती है।
- PLMA के तहत जमानत पाना इतना मुश्किल है कि इसके आरोपियों में से कई को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है।

Result Mitra

पूर्व के मामले -

- दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पूर्व 1 वर्ष से अधिक जेल में बिताना पड़ा।
- NCP के नेता छगन भुजबल को वर्ष 2016 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 2 वर्ष से अधिक समय तक जेल में बिताने पर भी जमानत नहीं मिल पाया था।

प्रावधान की आलोचना -

- जमानत देर से दिए जाने के पीछे एक तर्क है कि इससे न्यायालय को जमानत दिए जाने के लिए उचित आधारों के परीक्षण के लिए वक्त मिलेगा।
- सामान्यतः मनी लांड्रिंग के केस में आरोपी को 3 - 7 साल की जेल होती है, ऐसे में आलोचना इसलिए की जाती है कि यह दोषसिद्धि से पूर्व ही आरोपी द्वारा सजा काटने के समान है।

निकेश ताराचंद विवाद -

- नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को संवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया गया था।
- हालांकि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था।

ED का जवाब -

- न्यायालय के आदेश पर ED का कहना है कि, इस तरह जमानत का आदेश केस को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इससे कैसे पर संदेह उत्पन्न होता है, साथ ही अन्य मामलों पर भी प्रभाव पड़ता है।
- ED ने न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया है, जिसके पीछे यह तर्क दिए जाने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वे सबूतों के साथ छेड़-छाड़ कर सकते हैं।
- ED इस बात का भी तर्क दे सकता है की जमानत का आदेश अवकाश कालीन न्यायालय द्वारा दी गई है और ऐसा तब किया गया है जब ED ने अनुरोध किया था कि आदेश को 48 घंटे तक स्थगित कर दिया जाए।
- अगर ED की याचिका खारिज हो जाती है तो अंतिम विकल्प के रूप में उसके पास सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प बचता है।
- ध्यातव्य हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
- अंतरिम जमानत अवधि पूरी हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे पुनः जेल जाने का आदेश दिया क्योंकि केजरीवाल की स्वास्थ्य आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

PLMA, 2020

- यह एक अधिनियम है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने एवं मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रावधान है।
- इस एक्ट का उद्देश्य ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मागलिंग एवं आतंकवाद जैसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन पोषण के गतिविधियों को रोकना है।
- वर्ष 2023 में PLMA 2002 में संशोधन किया गया था।

मनी लांड्रिंग -

- इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित आय को वैध दिखाना होता है।

Result Mitra

- यह आतंकवाद, स्मागलिंग, डकैती, जबरन वसूली जैसे अवैध गतिविधियों को वित्त पोषण करने में मददगार होता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में 'डर्टी मनी' को 'वैध मनी' में रूपांतरित किए जाने की प्रक्रिया है।
- मनी लांड्रिंग के सामान्य तरीकों में कैश स्मागलिंग, शेल कंपनियां, हवाला कारोबार, जुआ, रियल-एस्टेट, ट्रेड-बेस लॉन्ड्रिंग आदि शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय -

- वर्ष 1956 में 1 मई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत इसकी स्थापना विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक मामलों के एक इकाई के रूप में हुआ था।
- वर्ष 1957 में इसका नाम 'प्रवर्तन इकाई' से बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।
- वर्ष 1960 में इसे आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया जो वित्त मंत्रालय के अधीन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय है।
- यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एवं पगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत अधिकार प्राप्त करता है।

Result Mitra

FATF -

- वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों द्वारा पेरिस में किया गया था, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है।
- वर्तमान में इसमें 37 सदस्य देश हैं।
- भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में तथा 2010 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- ब्लैक लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया एवं म्यांमार शामिल हैं, जिन्हें FATF ऐसे देशों के रूप में मानता है, जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं।
- ग्रे लिस्ट में ऐसे देश को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लांड्रिंग के लिए सुरक्षित स्थल हैं।
- लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान को 2022 में इस सूची से बाहर निकाला गया।